



**કાર્યાલય : અપર પ્રધાન મુખ્ય વન સંરક્ષક, વિકાસ,
જ્ઞારખણ્ડ, રોંચી।**



વન ભવન, ડોરણા, રોંચી

e-mail : pccf-development@gov.in

ફોન - 0651-2481813/ 9304727852

પત્રાંક : 01 / યોર્બજટ-47 / 2015-404

દિનાંક : 10.08.2020

પ્રેષક,

અપર પ્રધાન મુખ્ય વન સંરક્ષક, વિકાસ
જ્ઞારખણ્ડ, રોંચી।

સેવા મેં,

વન પ્રમણલ પદાધિકારી, કોડરમા વન પ્રમણલ / ચતરા ઉત્તરી વન પ્રમણલ /
ચતરા દક્ષિણી વન પ્રમણલ / હજારીબાગ પૂર્વી વન પ્રમણલ।

વિષય :-

વિત્તીય વર્ષ 2020-21 મેં કાર્યાન્વિત કી જાને વાલી "અધિસૂચિત વનભૂમિ પર વૃક્ષારોપણ એવં ભૂ-સંરક્ષણ" યોજના (અન્ય વ્યય) કે અંતર્ગત શીઘ્ર બઢને વાલે પૌથો કા રોપણ એવં વનભૂમિ પર વૃક્ષારોપણ કા સમ્પોષણ કાર્ય (ષષ્ઠમ વર્ષ) હેતુ કુલ રૂ 0 3.004 લાખ (તીન લાખ ચાર સૌ રૂપયે) માત્ર રાશિ કા ઓન લાઈન ઉપ આવંટન (Online Sub Allotment)।

પ્રસંગ:-

વિભાગીય સ્વીકૃત્યાદેશ સંખ્યા 4 / યોર્બજટ-66 / 2015-54 / વ૦૩૦ દિનાંક 15.01.2016 એવં વિભાગીય આવંટન આદેશ સંખ્યા 04 / યોર્બજટ- 48 / 2019-04 / આ૦ વ૦૩૦ દિનાંક 31.07.2020 ।

મહાશય,

ઉપરોક્ત વિષયક પ્રસંગાધીન પત્ર કે આલોક મેં બજટ મુખ્ય શીર્ષ 2406-વાનિકી તથા વન્ય પ્રાણી, ઉપ મુખ્ય શીર્ષ-01 વાનિકી, લઘુ શીર્ષ-101 વન સંરક્ષણ, વિકાસ તથા સમ્પોષણ, ઉપ શીર્ષ-58-અધિસૂચિત વનભૂમિ પર વૃક્ષારોપણ એવં ભૂ-સંરક્ષણ યોજના કે તહત વિત્તીય વર્ષ 2020-21 મેં ઉપબધ કે અંતર્ગત સ્વીકૃત રાશિ મેં કુલ રૂ 0 3.004 લાખ (તીન લાખ ચાર સૌ રૂપયે) માત્ર કા ઉપ આવંટન નિર્મલિખિત ઇકાઈયોં મેં કિયા જાતા હૈ:-

| પ્રાથમિક ઇકાઈ | વિપત્ર કોડ | (રાશિ લાખ મેં) |
|---------------|--------------------|----------------|
| મજદૂરી | 19S240601101580103 | 3.004 |
| કુલ :- | | 3.004 |

2. ઇસ રાશિ કી નિકાસી એવં વ્યયન પદાધિકારી અનુલગ્નક-1 (ક) સે 1 (ખ) પર વર્ણિત વન પ્રમણલ પદાધિકારી હોંગે જો અપને સમુખ અંકિત કાર્યો કી રાશિ સે અપને-અપને કાર્યાલયોં કે કાર્યો કે લિએ ઉત્તરવાદી હોંગે એવં વિભાગ કો સસમય ભૌતિક એવં વિત્તીય પ્રગતિ પ્રતિવેદન તથા ઉપયોગિતા પ્રમાણ પત્ર સમર્પિત કરેંગે। કાર્યદર અનુલગ્નક-2 તથા ઓન લાઈન ઉપ આવંટન કી પ્રતિ અનુલગ્નક-3 પર દ્રષ્ટવ્ય હૈ।

3. ઇસ યોજના કા કોડ સંખ્યા-19S240601101580103 હૈ, જો કોષાગાર સે રાશિ નિકાસી કે લિએ પ્રસ્તુત વિપત્રોં એવં વ્યય પ્રતિવેદન મેં અનિવાર્ય રૂપ સે અંકિત કિયા જાએગા।

4. ઇસ યોજના કે નિયંત્રી પદાધિકારી પ્રધાન મુખ્ય વન સંરક્ષક, જ્ઞારખણ્ડ હોંગે, જિનકે માર્ગદર્શન મેં અપર પ્રધાન મુખ્ય વન સંરક્ષક, વિકાસ કે દ્વારા યોજના કાર્યાન્વયન કા

सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक-1254 दिनांक-20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

7. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर

किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्वपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ—साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ—साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation

संसमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त |

विश्वासभाजन

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट—47 / 2015—404

दिनांक—10.08.2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग / चतरा / एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट—47 / 2015—404

दिनांक—10.08.2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा / चतरा / हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1 (क)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

| क्र. सं. | कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम | भौतिक लक्ष्य (हेक्टर) | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
|----------|--------------------------------|-----------------------|---------|---------------------|----------|
| | | | 1878.22 | 0.00 | 1878.22 |
| i | ii | iii | iv | v | vi |
| 1 | कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा | 30 | 0.563 | 0.000 | 0.563 |
| 2 | चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा | 30 | 0.563 | 0.000 | 0.563 |
| 3 | चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा | 50 | 0.939 | 0.000 | 0.939 |
| योग :- | | 110 | 2.065 | 0.000 | 2.065 |

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

| क्र. सं. | कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम | भौतिक लक्ष्य (हेक्टर) | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------|----------|
| | | | 1878.22 | 0.00 | 1878.22 |
| i | ii | iii | iv | v | vi |
| 1 | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग | 50.00 | 0.939 | 0.000 | 0.939 |
| योग :- | | 50 | 0.939 | 0.000 | 0.939 |
| सकल योग :- | | 160 | 3.004 | 0.000 | 3.004 |

विमागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04 / यो0ब0-66 / 2015- 54 दिनांक 15.01.2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

10/01/2016

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : वनभूमि/ गैर पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेक्टर), अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हेक्टेक्टर)

मजदूरी दर : 257.29 प्रति मानव दिवस

| क्र0 | कार्य का विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रु० मे०) | सामग्री (रु० मे०) | कुल व्यय (रु० मे०) | अभियुक्ति |
|------|----------------------------------|------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (A) | सम्पोषण कार्य (षष्ठ्य वर्ष) | | | | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा (60 हेक्टेक्टर) | स्थल | 7.30 | 1878.22 | 0.00 | 1878.22 | |
| | योग— | | 7.30 | 1878.22 | 0.00 | 1878.22 | |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



सरकार

आवंटन आदेश

आरखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-47/15(I)/404

दिनांक -

10-Aug-2020

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|---|--------------------------------------|
| 1 | S 19 240601101580103 | 36140 | KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA | 56,300.00 रुपये छप्पन हजार तीन सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| 2 | S 19 240601101580103 | 36141 | CTRFOR002 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O, NORTH DIV. CHATRA | 56,300.00 रुपये छप्पन हजार तीन सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |

योगः

112,600.00

क्रमिक योगः

रुपये एक लाख बारह हजार छ: सौ

 (NAND KISHORE SINGH)
 ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

| क्रमांक | विषय कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्यवन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|--|--|
| 3 | S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | 36142 | CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA | 93,900.00 रुपये तिरनवे हजार नौ सौ |
| 4 | S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | 36144 | HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST | 93,900.00 रुपये तिरनवे हजार नौ सौ |



योग:

क्रमिक योग:

रुपये तीन लाख चार सौ

187,800.00

300,400.00


 (NAND KISHORE SINGH)

 ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND